

2021/278

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- बागोरिया

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/347

दिनांक:- 20/10/21

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं पटवारी हल्का बागोरिया
व भू.अ.नि. 347 की जांच रिपोर्ट तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशांका के आधार
पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पुखड़ा तहसील
भोपालगढ़ व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 103
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>पुखड़ा</u>	103	<u>पपुकर पुजी</u> <u>सम-दर सिंह</u> <u>शेष खाना अक्षर</u>	<u>पैतनकर पुजी</u> <u>सम-दर सिंह</u> <u>शेष खाना अक्षर</u>



क्रमांक:- सम/348-343

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट रिजवाये।
2. प्रार्थी श्री पैतनकर को सूचनार्थ।

(हवाई सिंह यादव)
प्रमारी अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
एवं उपखण्ड अधिकारी

दिनांक:- 20/10/21

(हवाई सिंह यादव)
प्रमारी अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Received

O.K.
20/10/21

[Handwritten signature]

